महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या 958/आठ–1–2022–185विविध/2010टी०सी0 1

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवामें,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2022**

विषयः–राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / सुगम्य बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 द्वारा दिनांक 22.07.2022 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–44 एव 45 के अनुसार पूर्व निर्मित एव वर्तमान में बनने वाले सभी सरकारी एवं प्राइवेट भवन दिव्यागजन हितैषी होने की अनिवार्य व्यवस्था के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन कितने भवनों में यह व्यवस्था लागू है ? की सूचना उपलब्ध करायी जाए।

(2) यदि भवन उपविधि में उक्त व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है, तो यह भी अवगत कराया जाए कि नक्शे पास होने के पश्चात कितने भवनों में उक्त प्राविधान वास्तव में निर्मित कराये गये हैं, इसकी सूचना उपलब्ध करायी जाए।

(3) दिव्यांगजन सुगम्यता के मानक / गाइडलाइन भारत सरकार की वैबसाइट www.disabilityahairs.gov.in तथा CPWD और NIUA website (cpwd.gov.in and niua.org) पर उपलब्ध है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए वांछित सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त अभिकरणों से सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

PA (G)

Rk

मुख्य अभियन्ता
27-7-22

D:/MGD 2021